पहला अध्याय

1. सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य की सरकारी कंपनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित है। राज्य के पीएसयू की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए की गई है।

1.2 31 मार्च 2014 को छत्तीसगढ़ में 19 सरकारी कंपनियाँ[1] एवं एक सांविधिक निगम[2] (सभी कार्यरत) थे। इनमें से कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्व नही थी। सितम्बर 2014 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन पीएसयू ने ₹ 13734.46 करोड़ का आवर्त दर्ज किया। राज्य के पीएसयू को उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार कुल ₹ 420.14 करोड़ की समग्र हानि हुई। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार उन्होनें 20950 कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

1.3 राज्य के पीएसयू में एक स्वायत्तशासी निकाय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) जिसका एकमात्र लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) है, शामिल नही है।

1.4 वर्ष 2013-14 के दौरान कोई भी नया पीएसयू स्थापित नही किया गया एवं किसी पीएसयू/सांविधिक निगम को बन्द नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.5 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अनुसार अधिशासित होती है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है

---

[1] छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेव्हीएनएल), छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरव्हीव्हीएनएल), छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेव्हीएव्हीएन), छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी), छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी), छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी), सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईएसीएल), छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कंपनी लिमिटेड (सीएससीसीएल), सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलरीज लिमिटेड (सीएसपीजीसीएलएईएलपीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल), छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल), छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल) एवं रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (आरएनएनटीएल)

[2] छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)

जिसकी प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों द्वारा धारित हो। एक सरकारी कंपनी में सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी सम्मिलित होती है ।

1.6 राज्य के सरकारी कंपनियों के लेखों (जैसा कंपनी अधिनयम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है।

1.7 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम जो कि एक सांविधिक निगम है, की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम - 1962 के तहत शासित होती है। सीएसडब्ल्यूसी की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंटो द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.8 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 20 पीएसयू (एक सांविधिक निगम सहित) में ₹ 24374.05 करोड़ का कुल निवेश था। इसका विवरण ***तालिका 1.1*** में दिया गया है।

तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

सरकारी कंपनियाँ			सांविधिक निगम			महायोग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
12336.45	11966.84	24303.29	4.04	66.72	70.76	24374.05

राज्य के पीएसयू में सरकारी निवेश की सारांशीकृत स्थिति का विस्तृत वर्णन ***अनुलग्नक 1.1*** में दिया गया है।

1.9 31 मार्च 2014 को पीएसयू कुल निवेश का 50.63 प्रतिशत पूँजी में और 49.37 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। पीएसयू में निवेश 462.93 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2009-10 में ₹ 4329.85 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹ 24374.05 करोड़ हो गया जैसा कि ***रेखाचित्र 1.1*** में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र-1.1

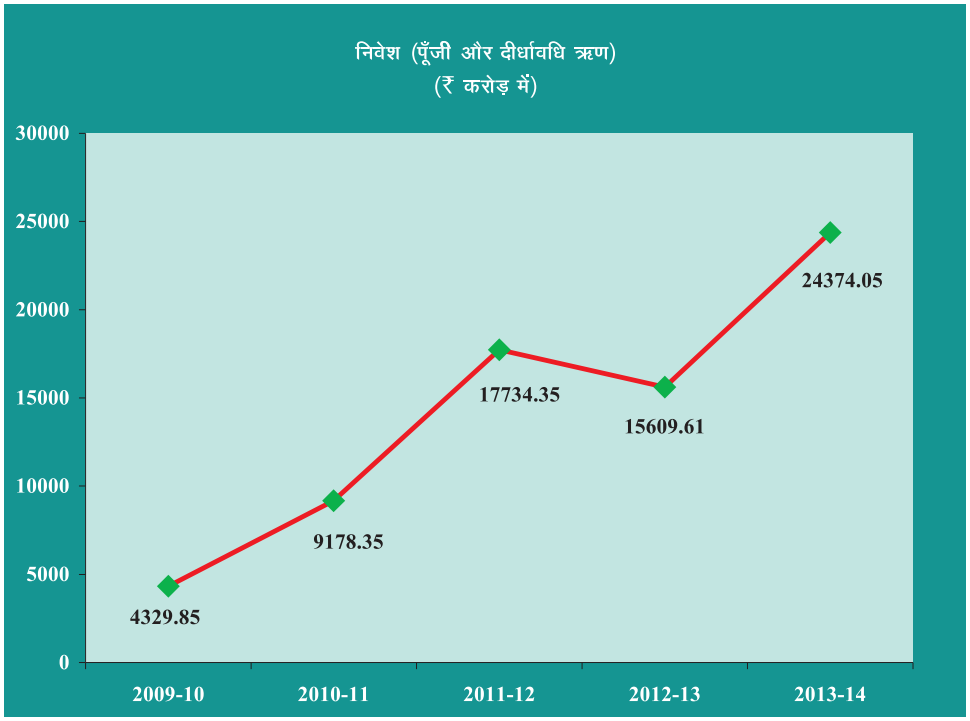

1.10 31 मार्च 2010 तथा 31 मार्च 2014 के अंत तक विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उसका कुल निवेश में प्रतिशत आगे ***रेखाचित्र 1.2*** में प्रदर्शित किया गया है।

रेखाचित्र - 1.2

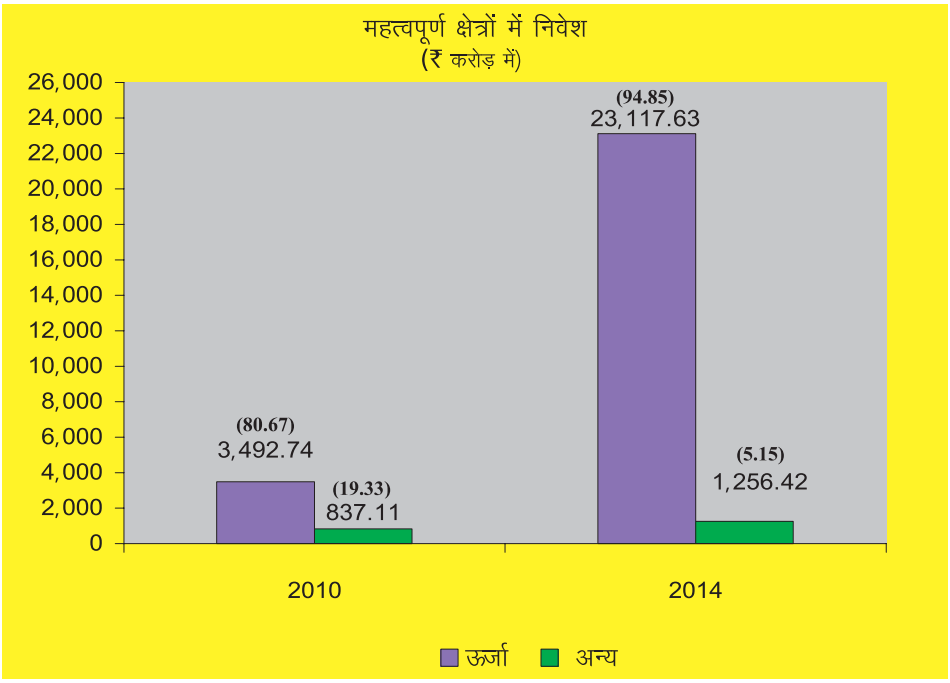

(कोष्ठक में दी गई संख्या कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाती है)

पीएसयू में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश बढ़त की प्रवृति को दर्शाता है। यह वर्ष 2009-10 में ₹ 3492.74 करोड़ से 561.88 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 23117.63 करोड़ हो गया जिसकी वजह मुख्यतः सरकार द्वारा इक्विटी एवं ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के द्वारा पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से अपनी नई परियोजनाओं/विकास/उन्नयन कार्यो के लिये प्राप्त ऋण है।

बजटीय बहिर्गमन समता, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति एवं ऋण के लिए

1.11 राज्य के पीएसयू के संबंध में मार्च 2014 के अंत में समता ऋण तथा अनुदान/उपदान से संबंधित बहिर्गमन का विस्तृत ब्यौरा ***अनुलग्नक 1.2*** में दिये गये हैं।

वर्ष 2013-14 को समाप्त हुये तीन वर्षों का समता, ऋण तथा अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का सारांशीकृत ब्यौरा ***तालिका 1.2*** में दिया गया है ।

तालिका - 1.2

क्र.सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		पीएसयू की संख्या	राशि करोड़ में	पीएसयू की संख्या	राशि करोड़ में	पीएसयू की संख्या	राशि करोड़ में
1.	बजट से समता पूँजी का बहिर्गमन	-	-	4	903.52	2	22.45
2.	बजट से दिए गए ऋण	1	500.00	3	651.66	3	556.78
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	7	1515.23	6	1322.09	8	3007.97
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	7	2015.23	10	2877.27	11	3587.20
5.	समता में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
6.	निर्गत प्रत्याभूतियां	1	2.50	1	500.00	2	508.00
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	2	302.84	3	937.61	2	525.00

1.12 पिछले पाँच वर्षों की समता, ऋण एवं अनुदान/सहायता से संबंधित बजटीय बहिगर्मन का विस्तृत विवरण ***रेखाचित्र 1.3*** में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र - 1.3

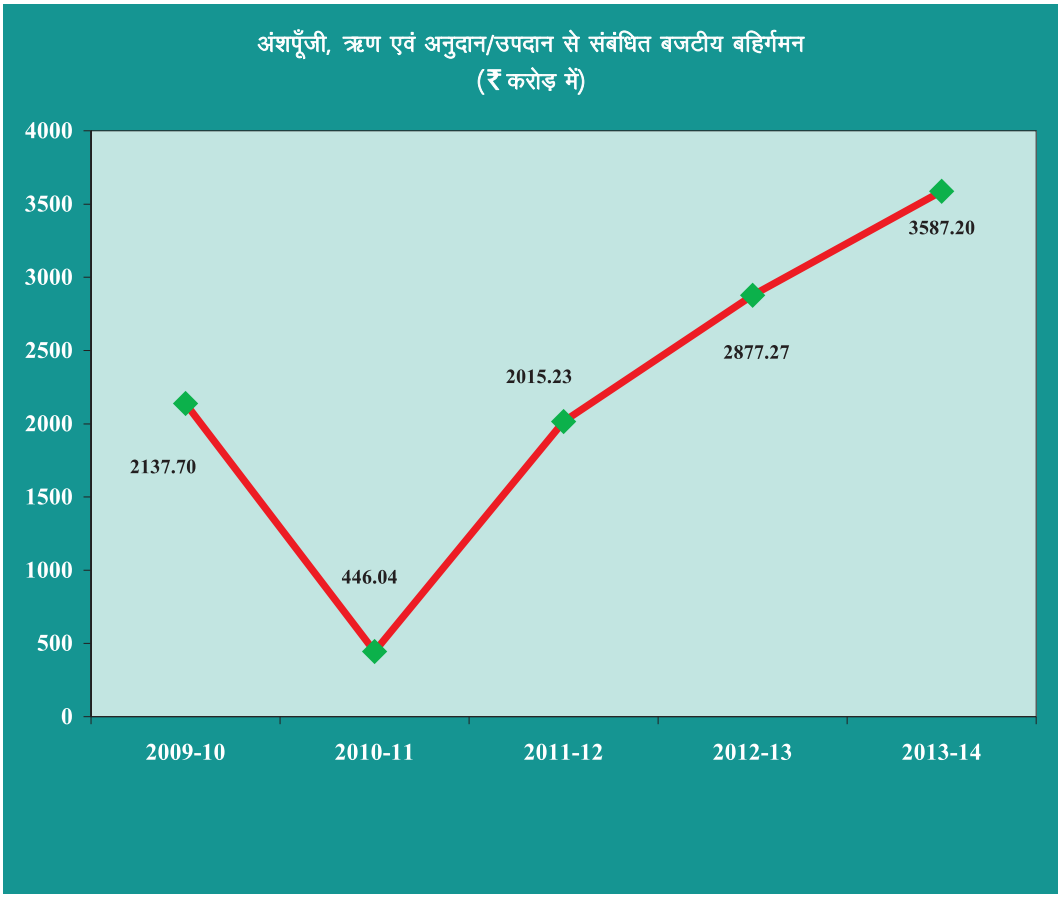

समता, ऋण और अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन ₹ 2137.70 करोड़ (2009-10) से अत्यधिक घटकर ₹ 446.04 करोड़ (2010-11) हुआ, यह बढ़कर ₹ 2015.23 करोड़ (2011-12), ₹ 2877.27 करोड़ (2012-13) और ₹ 3587.20 करोड़ (2013-14) हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान बजटीय बहिर्गमन ₹ 3587.20 करोड़ के दो पीएसयू यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को ₹ 3420.61 करोड़ का विस्तारित समर्थन ऋण, उपदान एवं अनुदान के रूप में क्रमशः ₹ 635.64 करोड़ और ₹ 2784.97 करोड़ सम्मिलित है।

वित्त लेखों के साथ समाधान

1.13 राज्य के पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार समता , ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों के समान होने चाहिए। यदि आंकड़ों में अंतर है तो संबंधित पीएसयू और वित्त विभाग को चाहिए कि अंतर का मिलान अवश्य करें। इस संबंध में 31 मार्च 2014 की स्थिति ***तालिका-1.3*** में दर्शित है।

तालिका - 1.3

(₹ करोड़ मे)

अदत्त के संबंध में	वित्त लेखे के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
समता	1662.38	6807.94	5145.56
ऋण	440.17	313.58	126.59
गारंटियां	1676.21	525.00	1151.21

1.14 हमने पाया कि 13 पीएसयू[3] के आंकड़ों में अंतर पाया गया और इन अंतरों का समाधान 2004-05 से ही लंबित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज और पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अंतर की राशि के अंतर को पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, पर राज्य सरकार द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नही की गई।

पीएसयू का निष्पादन

1.15 पीएसयू के वित्तीय परिणामों और सांविधिक निगम की वित्तीय स्थिति तथा कार्यकारी परिणामों का विस्तृत विवरण क्रमशः ***अनुलग्नक 1.3, 1.4*** एवं ***1.5*** में दिया गया है।

1.16 वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य के पीएसयू के द्वारा उनके अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार वहन किये गये अर्जित समग्र लाभ/हानि का विवरण आगे ***रेखाचित्र 1.4*** में दिया गया है।

[3] सीआरबीईकेवीएनएल, सीआरवीवीएनएल, सीएनजेवीएवीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल और सीएसडब्ल्यूसी

रेखाचित्र - 1.4

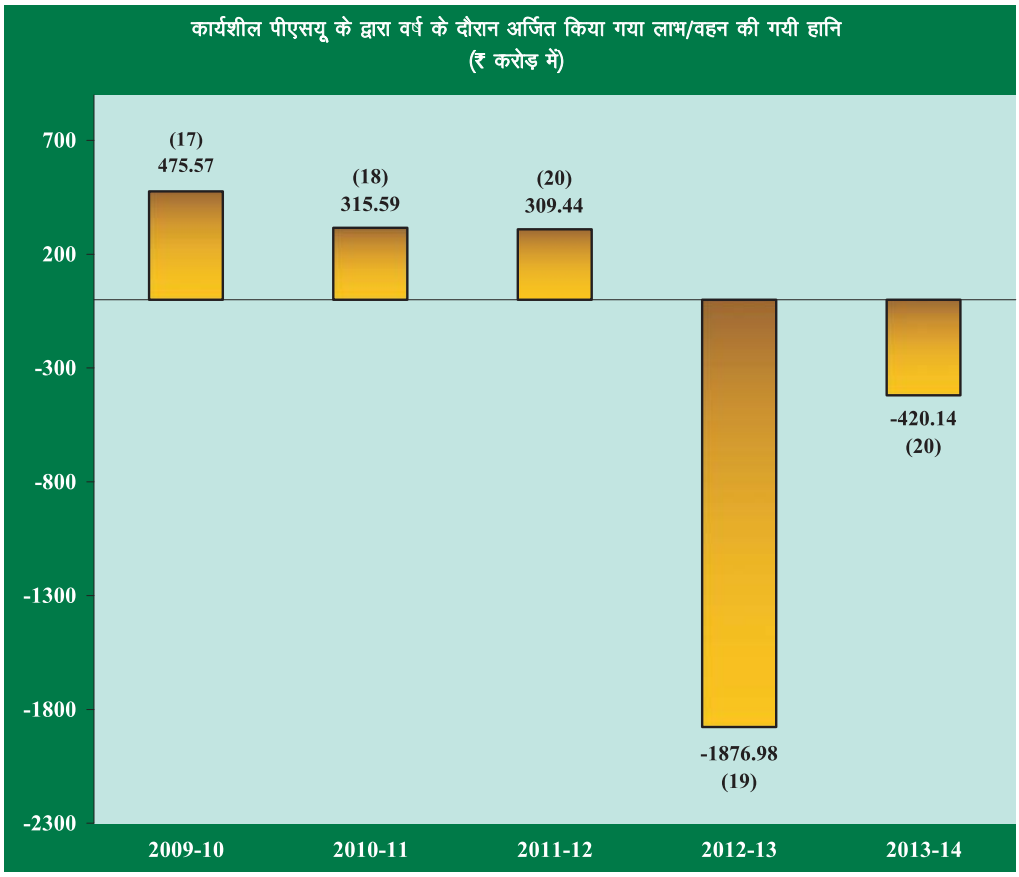

(कोष्ठक में दिये गए आंकड़े अद्यतन अंकेक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयू की संख्या दर्शाते है)

राज्य के पीएसयू द्वारा 2011-12 में अर्जित औसत लाभ ₹ 309.44 करोड़ था जो वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को हुई अत्यधिक हानि (₹ 2012.27 करोड़) के परिणामस्वरूप ₹ 1876.98 करोड़ की औसत हानि में परिवर्तित हो गयी। जो कि महत्वपूर्ण रूप से 2013-14 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को कम हानि (₹ 498.19 करोड़) होने से औसत हानि घटकर ₹ 420.14 करोड़ हो गई।

30 सितम्बर 2014 को उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत 20 पीएसयू[4] में से 12 पीएसयू[5] द्वारा ₹ 123.66 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया गया और चार पीएसयू[6] को समग्र रूप में ₹ 543.80 करोड़ की हानि हुई। तीन पीएसयू[7] को "न लाभ न हानि" हुआ। शेष एक पीएसयू[8] द्वारा अपने प्रथम लेखों को

[4] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीआईसीएल, सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल, सीपीएचसीएल, आरएनएनटीएल एवं सीएसडब्ल्यूसी

[5] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसबीसीएल, सीपीएचसीएल एवं सीएसडब्ल्यूसी

[6] सीएससीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीटीसीएल एवं सीएससीएससीएल

[7] सीआईसीएल, सीएपीसीएल एवं सीएमएससीएल

[8] आरएनएनटीएल

अंतिमीकृत नहीं किया गया था। लाभ में प्रमुख योगदान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 40.51 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 27.81 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (₹ 16.31 करोड़) का रहा। मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 498.19 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 26.63 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (₹ 18.94 करोड़) की हानि हुई।

1.17 सीएजी के तीन साल के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती हैं कि राज्य के पीएसयू को ₹ 38.08 करोड़ की नियंत्रणीय हानियाँ हुई एवं ₹ 0.91 करोड़ का व्यर्थ निवेश किया जो अच्छे प्रबंधन के द्वारा नियंत्रणीय था जैसा कि ***तालिका- 1.4*** में दिया गया है।

तालिका - 1.4

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	योग
कार्यरत पीएसयू का शुद्ध लाभ (+)/हानि(-)	309.44	(-) 1876.98	(-) 420.14	(-) 1987.68
सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियंत्रणीय हानि	1958.08	204.13	38.08	2200.29
व्यर्थ निवेश	44.12	0	0.91	45.03

1.18 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं की थी, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रदत्त अंशपूँजी पर न्यूनतम वापसी का भुगतान हो सके। अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 12 पीएसयू ने ₹ 123.66 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से केवल दो पीएसयू[9] ने ₹ 3.57 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.19 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619 (बी) के अनुसार कंपनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का समापन उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने के भीतर करना होता है। इसीतरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का अंतिमीकरण, अंकेक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण भण्डारगृह निगम अधिनियम-1962 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सितम्बर 2014 तक कार्यरत पीएसयू द्वारा लेखों को तैयार करने की प्रगति का विवरण ***तालिका 1.5*** में प्रस्तुत है।

[9] सीआरव्हीव्हीएनएल एवं सीएसडब्ल्यूसी

तालिका - 1.5

क्र. स.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कार्यरत पीएसयू की संख्या	17[10]	18[11]	20[12]	19	20
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत लेखों की संख्या	16	15	16	24	22
3.	बकाया लेखों की संख्या	36	38	41	36	36[13]
4.	प्रत्येक पीएसयू का औसत बकाया (3/1)	2.25	2.24	2.16	1.89	1.80
5.	बकाया लेखों वाले कार्यरत पीएसयू की संख्या	15	15	15	15	15
6.	बकाया लेखों की अवधि (वर्ष)	1 से 6	1 से 5	1 से 6	1 से 7	1 से 7

1.20 पीएसयू के लंबित लेखों की संख्या 2009-10 में 15 पीएसयू के संदर्भ में 36 लेखों से 2011-12 में बढ़कर 15 पीएसयू के संदर्भ में 41 हो गई, जो वर्ष 2013-14 में घटकर 15 पीएसयू के संदर्भ में 36 हो गई थी।

1.21 राज्य सरकार ने एक सांविधिक निगम सहित 10 पीएसयू में ₹ 5101.97 करोड़ (समता ₹ 0.45 करोड़, ऋण ₹ 1063.74 करोड़, अनुदान ₹ 294.65 करोड़ एवं उपदान ₹ 3743.13 करोड़) का निवेश उन वर्षों मे किया जिनमें लेखे अंतिमीकृत नहीं हुये है, जिसका विवरण ***अनुलग्नक 1.6*** में दिया गया है। लेखों और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गए निवेश और व्यय का लेखा-जोखा उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उसकी प्राप्ति हुई थी। इसप्रकार, पीएसयू में सरकारी निवेश राज्य की विधायिका की संवीक्षा से वंचित रहा। इसके अतिरिक्त, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ लोकनिधि की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है।

1.22 प्रशासनिक विभागों को इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है और यह सुनिश्चित करना है कि ये पीएसयू अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट समय सीमा में कर रहे है। यद्यपि संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को बकाया लेखों के अंतिमीकरण के तथ्य की जानकारी दे दी गई, पर कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा इन पीएसयू की शुद्ध परिसम्पत्तियों का निर्धारण नहीं किया जा सका। बकाया लेखों

[10] राज्य सरकार की गजट अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2008 के अनुसार, 1 जनवरी 2009 से प्रभावी पाँच कंपनियों में विखंडित सीएसईबी को शामिल करते हुये। सीएसईबी का नाम अध्याय में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है, जिसके 2008-09 तक के लेखों का अंतिमीकरण बकाया था

[11] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया है

[12] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया और 14 दिसम्बर 2011 को स्थापित सीपीएचसीएल को भी उसके प्रथम लेखे 15 माह की अवधि के लिए तैयार करने के कारण लंबित लेखों में विचारित नहीं किया गया है। जबकि सीएमएससीएल के संबंध में दो लेखों को लंबित माना गया क्योंकि कंपनी ने दो पृथक लेखे, पहला 7 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए और दूसरा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि हेतु तैयार किये है

[13] तीन लेखे वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक आरएनएनटीएल द्वारा प्रस्तुत किया जाना है

का मामला हमारे द्वारा मुख्य सचिव की जानकारी में भी लाया गया (सितम्बर 2014) ताकि बकाया लेखों का समयबद्ध रूप से जल्दी निपटारा किया जा सके।

1.23 उपरोक्त बकाया लेखों के परिप्रेक्ष्य में, यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप लेखों के समयबद्ध अंतिमीकरण को सुनिश्चित करते हुये उनकी निगरानी करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.24 1 अक्टूबर 2013 से 30 सितम्बर 2014 तक की अवधि में 14 कार्यरत कंपनियों ने अपने 21 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए। इनमें से 12 कंपनियों[14] का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों पर अमर्यादित प्रमाण पत्र एवं 15 लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिये। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा दर्शाती है कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता हैं। वैधानिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण ***तालिका 1.6*** में दिया गया हैं।

तालिका - 1.6

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	8	1024.43	6	9.41	7	3.70
2.	हानि में वृद्धि	-	-	4	42.66	3	216.54
3.	लाभ में वृद्धि	-	-	4	10.90	4	0.90
4.	हानि में कमी	1	6469.24	3	129.49	4	1448.49

वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनियों के अंतिमीकृत लेखों से संबंधित सीएजी की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ आगे दी गई हैं:

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (2012-13)

- आयकर विभाग द्वारा की गई आयकर की मांग का प्रावधान न करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को देय वार्षिक प्रभार का प्रावधान न करने के कारण वर्ष का लाभ ₹ 46.17 लाख से अधिक दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2011-12)

- 'डीसीपी[15] चावल के क्रय पर ब्याज' की गलत गणना करने के कारण दीर्घकालीन प्रावधानों तथा वर्ष की हानि को ₹ 4.33 करोड़ से अधिक दिखाया गया।

[14] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीआईसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएमएससीएल

[15] विकेन्द्रीकृत उपार्जन

- ''शुगर इक्वलाइजेशन कोष से अंतर की राशि'' से आय का लेखा कम राशि से होने के कारण वर्ष की हानि को ₹ 1.82 करोड़ से अधिक दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2010-11)

- वर्ष 2010-11 के लिए बकाया वेतन के भुगतान हेतु प्रावधान न करने के कारण वर्ष के लाभ को ₹ 15.75 लाख से अधिक दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2006-07)

इन कारणों से वर्ष का लाभ ₹ 2.41 करोड़ से अधिक दिखाया गयाः

- 1 जुलाई 2000 से 31 मार्च 2002 की अवधि का एमपीएसआईडीसी की इण्टर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पर ₹ 1.59 करोड़ के उपार्जित ब्याज का लेखों में प्रावधान न करना।

- तीन वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित देनदारों के पूर्व शेषों के सम्बन्ध में ₹ 70.24 लाख के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान न करना।

- ₹ 11.83 लाख के अस्वीकृत उद्गम स्थान पर कर की कटौती (टीडीएस) की वापसी के दावे का प्रावधान न करना।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2012-13)

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड से क्रय की गई विद्युत की लागत का लेखा कम राशि से करने के कारण वर्ष की चालू देयताओं एवं हानि को ₹ 23.39 करोड़ से कम दिखाया गया।

- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 की अवधि के पारेषण प्रभारों को जो कि वर्ष 2013-14 में भुगतान किये गये, का प्रावधान न करने के कारण वर्ष की व्यापारिक देयताओं तथा हानि को ₹ 3.31 करोड़ से कम दिखाया गया।

- जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को विद्युत क्रय देयकों का देरी से भुगतान करने के कारण देय दाण्डिक ब्याज का 31 मार्च 2013 को प्रावधान न करने के कारण, वर्ष की चालू देयताओं एवं हानि को ₹ 1.55 करोड़ से कम दिखाया गया।

- मेसर्स एसीबी तथा मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर लिमिटेड से संबंधित विद्युत क्रय के व्ययों का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड को 31 मार्च 2013 को देय राशि का प्रावधान न करने के कारण वर्ष की चालू देयताओं तथा हानि को ₹ 0.94 करोड़ से कम दिखाया गया।

- सीएसईआरसी के द्वारा 18 जुलाई 2013 को जारी निर्देशों के अनुपालन में म.प्र. विद्युत प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड से 27 मार्च 2006 से 31 मार्च 2013 तक की अवधि के रिएक्टिव विद्युत प्रभारों के सम्बंध में प्राप्त राशि का लेखांकन न करने के कारण हानि को ₹ 10 करोड़ से अधिक दिखाया गया।

- अनिर्धारित इण्टरचेन्ज पर ब्याज ₹ 77.74 लाख का लेखांकन न करने से जो कि माह मार्च 2013 की एकत्रित आय से सम्बंधित थी, के परिणामस्वरूप संचालन से आय, व्यापारिक देयताओ को कम करके दिखाया गया तथा हानि को ₹ 77.74 लाख से अधिक दिखाया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (2012-13)

- ''एसएलडीसी विकास निधि'' में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा लघुकालीन ओपन एक्सेस प्रभारों (एसएलडीसी प्रभारों) के रूप में वसूली गई ₹ 1.01 करोड़ की राशि को पूर्ण रूप से स्थानांतरित करने के कारण वर्ष की हानि को ₹ 0.51 करोड़ से अधिक दिखाया गया। यद्यपि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित बातें) विनियमन, 2010 के अनुसार, केवल एसएलडीसी प्रभारों का 50 प्रतिशत ही स्थानांतरित किया जाना था।

- कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित उपकेन्द्रों के संचालन एवं संधारण, वृक्षारोपण एवं विज्ञापन से संबंधित व्ययों का प्रावधान न करने के कारण, जिनका भुगतान वर्ष 2013-14 के दौरान हुआ, हानि को ₹ 0.56 करोड़ से कम दिखाया गया।

सांविधिक निगमों के लेखों पर टिप्पणियाँ

1.25 इसीप्रकार, वर्ष 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम ने वर्ष 2012-13 के लेखों को महालेखाकार को अग्रेषित किया। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिए गए तथा निगम के लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। सांविधिक निगम पर वैधानिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे ***तालिका 1.7*** में दिया गया है।

तालिका - 1.7

क्र. सं.	विवरण	2011-12		2012-13		2013-14	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	-	-	1	0.81	-	-
2	लाभ में कमी	2	1056.20[16]	-	-	1	0.20
	योग		**1056.20**		**0.81**		**0.20**

1.26 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के वर्ष 2012-13 के लेखों से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

- 31 मार्च 2013 की अवधि के गोदाम किराये की राशि का प्रावधान न करने के कारण, जिसका कि अगले वर्ष भुगतान किया गया, वर्ष का लाभ ₹ 11.92 लाख से अधिक दिखाया गया।

[16] लाभ में कमी ₹ 1056.11 करोड़ की पूर्ववर्त्ती सीएसईबी की अवधि 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसम्बर 2008 से संबंधित है जो कि 1 जनवरी 2009 को पाँच कंपनियों में विखंडित हुई। सीएसईबी के एसएआर का अंतिमीकरण 2011-12 के दौरान हुआ

- जून 2006 से मार्च 2013 से संबंधित बकाया वेतन की राशि का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य देयताओं को कम करके दिखाया गया वहीं लाभ को ₹ 8.24 लाख से अधिक दिखाया गया।

आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियाँ

1.27 सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउण्टेंट) को सीएजी के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उनके द्वारा अंकेक्षण की गई कंपनियों के आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना होता है, जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। वर्ष 2013-14 के दौरान ग्यारह कंपनियों[17] के अंतिमीकृत लेखों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा किये गए मुख्य टिप्पणियों का सारांश उदाहरण सहित ***तालिका - 1.8*** में दिया गया हैं।

तालिका - 1.8

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कंपनियों की संख्या जहाँ अनुशंसायें की गई थी	कंपनियों की क्रम संख्या परिशिष्ट - 1.3 के अनुसार
1.	भंडार एवं पुर्जे की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का तय न होना	3	ए-10, ए-11, ए-14
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	10	ए-01, ए-06, ए-10, ए-11, ए-12, ए-13, ए-14, ए-15, ए-16, ए-17
3.	अचल परिसम्पत्तियों की पंजिका, जो पूर्ण विवरण जैसे मात्रात्मक विवरण तथा अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति दर्शाती हो, का संधारण नहीं होना	8	ए-01, ए-05, ए-06, ए-10, ए-11, ए-14, ए-15, ए-16
4.	स्कंध का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया	4	ए-01, ए-05, ए-06, ए-14

लेखापरीक्षा के फलस्वरूप वसूलियाँ

1.28 वर्ष 2013-14 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न पीएसयू के प्रबंधन को ₹ 52.26 करोड़ की वसूली बताई गई, जिसमें ₹ 13.85 करोड़ स्वीकार की तथा उसमें से ₹ 0.64 करोड़ की वसूली वर्ष 2013-14 के दौरान की गई।

[17] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल एवं सीएमएससीएल

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.29 सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति ***तालिका 1.9*** में दर्शित हैं।

तालिका - 1.9

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जिसमें पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में रखा गया		
		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधायिका में रखे जाने की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2011-12	21.02.2013	16.07.2013
		2012-13	11.02.2014	प्रस्तुत किया जाना शेष है

(स्रोतः निगम द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकड़े)

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायिकी नियंत्रण कमजोर होता है एवं बाद में वित्तीय जवाबदेही कमजोर पड़ जाती हैं। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.30 विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के विखण्डन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। मण्डल का विखंडन पाँच कंपनियों[18] में हुआ जो 1 जनवरी 2009 से प्रभावी था।

1.31 राज्य में मई 2004 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (आयोग) की स्थापना विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण के संबंध में सुझाव देने एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने के उद्देश्यों के साथ किया गया। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोग ने वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर छः एवं अन्य मामलों में 80 आदेश जारी किये।

1.32 केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश सरकार ने मई 2000 में विद्युत क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता के साथ चिन्हित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। यद्यपि नवम्बर 2000 में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ववर्त्ती मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं हुए। इसप्रकार सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और चिन्हित उद्देश्यों की उपलब्धियों को निर्धारित नहीं किया जा सका।

[18] सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल और सीएसपीटीसीएल